रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 62/2026/1472/22-2-2024-17(427)/2024

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दर्शन (बन्दी सं0-28207) पुत्र श्री सालिकराम, नगला भगवान, थाना-शाहाबाद, जनपद-हरदोई का निवासी है, जिसे केस नं0-1 में सत्र परीक्षण संख्या-286/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 12.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। केस नं0-2 में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-803/2004 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-05, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है।, बन्दी द्वारा केस नं0-1 में दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष, 09 माह, 28 दिन तथा 07 वर्ष, 01 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा तथा केस नं0-2 में दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 03 वर्ष, 10 माह, 15 दिन तथा 04 वर्ष, 07 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या- 62/2026/1472(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in